छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन

मुख्यालय–सेक्टर–24, ग्राम–झांझ, अटलनगर, नवारायपुर (छ0ग0)
Telephone: 0771-2272975, Email: swctechnicalho@gmail.com, Website : www.cgswc.cg.gov.in

क्रमांक / छगवेका / मुख्या. / तक–परि0 / 2025–26 / 6580 नवा रायपुर, दिनांक 21.05.25

–::परिपत्र::–

प्रति,

समस्त शाखा प्रबंधक
छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
छत्तीसगढ़ ।

विषयः–गोदामों का वर्षा पूर्व / वर्षाकाल में सुरक्षा व्यवस्था, साफ–सफाई आदि बाबत् ।

विषयान्तर्गत निगम के गोदामों का वर्षा पूर्व / वर्षाकाल में सुरक्षा व्यवस्था, साफ–सफाई एवं छत मरम्मत आदि करवाने हेतु निगम के समस्त शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है जिससे निगम के गोदामों में भण्डारित स्कंध की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके एवं निगम को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

वर्षा पूर्व / वर्षाकाल में किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार हैं :–

(01) वर्षाकाल के पूर्व गोदाम परिसर का निरीक्षण कर, सुनिश्चित किया जावे कि परिसर में वर्षा के पानी का जमाव न होता हो। इस हेतु परिसर में दर्शित गढ्ढों को मुरूम आदि से पटाई की जावें एवं परिसर में निर्मित नालियों की सफाई किया जावे। अवगत हो कि परिसर से वर्षा के दौरान पानी निकासी की समुचित व्यवस्था वर्षाकाल के पूर्व ही अवश्य कर ली जावें।

(02) गोदाम में प्रयुक्त छत, रोशनदानों एवं शटर्स से वर्षा का पानी गोदाम के भीतर प्रविष्ट न होने पाये तथा गोदाम में भण्डारित स्कंध सुरक्षित रहे। इस हेतु गोदाम की छत, रोशनदानों एवं शटर्स की आवश्यकतानुसार मरम्मत करवाया जाना सुनिश्चित करें। तेज आंधी–तूफान आने पर शटर्स, रोशनदानों आदि को बंद रखें।

(03) तेज वर्षा / बिजली कड़कने आदि के समय धर्मकांटा, कम्प्यूटर आदि को बंद रखें। इसी प्रकार गोदाम / परिसर बंद करते समय इलेक्ट्रानिक उपकरणों (जैस–कम्प्यूटर, मोडेम, धर्मकांटा कक्ष के उपकरण आदि) को यथासंभव स्विचबोर्ड आदि से डिस्कनेक्ट करके रखें जिससे उपकरण खराब न होने पाये।

(04) विद्युत परिपथों / कनेक्शन आदि को चेक करा लेवें जिससे वर्षाकाल में विद्युत व्यवस्था बाधित न हो तथा वर्षा के समय दीवार आदि गीला होने के कारण किसी प्रकार का करंट / विद्युत धारा प्रवाहित न हो।

(05) वर्षाकाल में सर्प आदि का भय रहता है अतः परिसरों में आवश्यक प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित रखें। आवश्यकतानुसार इमरजेन्सी लाईट / पोर्टेबल इमरजेन्सी लाईट, टार्च आदि की व्यवस्था रखें।

(06) गोदामों की दीवारों / आई दरारों की तत्काल मरम्मत कराई जावे।

(07) गोदाम के चारों ओर अवांछित घास एवं झाड़ियों की नियमित कटाई एवं फर्श की सफाई कराना सुनिश्चित करें।

(08) गोदाम के छत में लगी एसी शीट्स की नालियों में धूल, कचरा इत्यादि का जमाव होने की स्थिति में उसकी सफाई वर्षा पूर्व आवश्यक रूप से कराई जावे।

(09) वर्षा काल के पूर्व गोदामों में उपयोग में लाये जा रहे तालों की आयलिंग अवश्य कर लेना चाहिये ताकि वर्षा के पानी से ताले खराब न होने पाये। इसी प्रकार रोलिंग शटर्स की आयलिंग/ग्रीसिंग की जावे।

(10) वर्षाकाल में वातावरण में आपेक्षित आर्द्रता अधिक होती है अतएव गोदामो में भण्डारित स्कंध को आर्द्रता के प्रभाव से सुरक्षित रखने हेतु गोदामों के रोशनदानों के पल्लों की मरम्मत करना अतिआवश्यक है, तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि रोशनदानों एवं शटर्स बंद करने पर गोदामों में वायुरूद्धता की स्थिति बनी रहे।

(11) वर्षा काल के दौरान गोदामों में आपेक्षित आर्द्रता में वृद्धि के नियंत्रण हेतु एनहाइड्रस लाइम (बिना बुझा) मिट्टी के सकोंरों में गोदाम के विभिन्न जगहों में रखें, तथा लाईम में नमी होने पर नमीयुक्त लाईम को बाहर निकाल कर पुनः एनहाइड्रस लाइम रखा जावें।

(12) निगम द्वारा किराये से लिये गये गोदामों की लीकेज छतों के सुधार हेतु संबंधित गोदाम मालिक को समयावधि में कार्य पूर्ण हेतु लेख करें तथा कार्य पूर्ण न करने पर गोदाम किराया से कटौत्री कर तुरन्त सुधार करवायें।

(13) किराये के गोदाम जो वर्षाकाल में भण्डारण योग्य नहीं है तथा जिसमें स्कंध के क्षति की संभावना है, ऐसे गोदामों को प्राथमिकता के आधार पर रिक्त करें एवं भविष्य में ऐसे गोदामों को किराये से न लिया जावे।

(14) वर्षा काल में वर्षा के दौरान गोदामों को बंद कर वायुरूद्ध स्थिति में रखा जावे तथा मौसम के खुलने पर ही गोदामों को वायु संचरण हेतु खोला जावें एवं आवश्यकतानुसार कीटरोधक उपचार किया जावें।

(15) वर्षा काल में गोदामों का सतत् निरीक्षण किया जावे तथा कहीं भी लीकेज आदि दिखाई देने पर प्रभावित स्कंध के स्टेक को पालिथिन से ढंक दिया जावे एवं यथाशीघ्र लीकेज की मरम्मत कराई जावे।

(16) वर्षा काल में गोदामों में भण्डारित स्कंध को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों की नियमित सफाई, क्षरित स्कंध का त्वरित एकत्रीकरण तथा स्टेकों की नियमित ब्रशिंग की जावें।

(17) हायग्रोस्कोपिक स्कंध के स्टेकों को पालिथिन से ढंक कर रखा जावे।

(18) समस्त उपायों को पूर्ण करने पश्चात भी अगर किसी स्थान पर वर्षा ऋतु में अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो बीमा क्लेम संबधी कार्यवाही त्वरित पूर्ण करें।

(19) जल भराव/अत्यधिक वर्षा/तूफान आदि के स्थिति में मुख्यालय तथा जिला प्रशासन से सतर्त सम्पर्क में रहें एवं समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।

(20) कार्यालयीन दिवसों तथा अवकाश दिवसों में कर्मचारियों की लिखित ड्यूटी परिसरों में लगाना सुनिश्चित करें जिससे किसी प्रकार की अप्रिय/आपातिक स्थिति की ससमय सूचना प्राप्त हो सके तथा समुचित सुरक्षा उपाय कर गोदामों/स्कंधों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(21) वर्षाकाल में किसी अप्रिय स्थिति से बचने हेतु समस्त कर्मचारी/शाखा प्रबंधक मुख्यालय पर रहना सुनिश्चित करें एवं समस्त गोदामों के खोलने एवं बंद करने का लेखा–जोखा लॉगबुक में इन्द्राज करें।

समस्त शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्य संपादन के अन्तर्गत आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिये कार्यपालन अभियंता निर्माण शाखा को प्रस्ताव तैयार कर अविलंब प्रस्तुत करें तथा वर्षाकाल के पूर्व समस्त मरम्मत से संबधित कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रधान कार्यलय को प्रेषित करें।

उपरोक्तानुसार निर्देशित कार्यो का सामयिक संपादन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक

कमांक/छगवेका/मुख्या./तक–परि0/2025–26/6580 नवा रायपुर, दिनांक 21.05.25

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ

(01) निज सचिव, प्रबंध संचालक, छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मु0 नवा रायपुर।

(02) कार्यपालन अभियंता, छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मु0 नवा रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वर्षाकाल के पूर्व गोदामों की मरम्मत, छत मरम्मत, नाली मरम्मत आदि कार्य करवायें।

(03) प्रबंधक (वाणिज्य) छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मु0 नवा रायपुर को निर्देशित है कि निगम के गोदामों में भण्डारित समस्त स्टॉक का बीमा कराना सुनिश्चत करें एवं किसी अप्रिय स्थिति में बीमा क्लेम आदि की प्रकिया पूर्ण करवायें।

(04) प्रबंधक (कार्मिक/लेखा) छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मु0 नवा रायपुर को सूचनार्थ।

(05) नोडल अधिकारी (आई0टी0) छ0ग0स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन नवा रायपुर को निर्देशित है कि जारी निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रबंध संचालक